

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 29 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 हेतु दूसरे चरण में उपयोग की जाने वाली ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की 'द्वितीय रैंडमाइजेशन' एवं प्रथम चरण के ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की कमीशनिंग।

ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का 'द्वितीय रैंडमाइजेशन' निर्वाची पदाधिकारी द्वारा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में प्रथम रैंडमाइजेशन के उपरान्त विधानसभावार उपलब्ध कराये गये ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को यादृच्छिक (Random) रूप से 'मतदान केंद्रवार' आवंटित किया जाता है तथा मतदान केन्द्र आवंटन के बाद शेष बचे ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट को सुरक्षित रख लिया जाता है। सुरक्षित मशीनों का उपयोग खराब मशीनों के Replacement के रूप में किया जाता है।

द्वितीय रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया 'भारत निर्वाचन आयोग' के EVM Management System – EMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। ई०वी०एम० के द्वितीय रैंडमाइजेशन से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश Manual on Electronic Voting Machine, Edition-08, Aug.-2023 में उल्लिखित हैं, जो भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट <https://www.eci.gov.in/evm&vvpat> पर उपलब्ध है।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के क्रम में उपयोग की जाने वाली ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का 'द्वितीय रैंडमाइजेशन' का कार्यक्रम निम्नवत है :—

जिला का नाम	विधानसभावार क्षेत्रों की सं०	द्वितीय रैंडमाइजेशन की तिथि	चरण
मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखिसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर एवं बक्सर	121	24.10.2025	प्रथम चरण
पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सितामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया जी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर	122	29.10.2025	द्वितीय चरण

राज्य के द्वितीय चरण से संबंधित 20 जिलों के 118 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आज दिनांक 29.10.2025 को ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन अभ्यर्थियों एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुआ। साथ ही प्रथम चरण से संबंधित बक्सर जिले के 201-डुमराँव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी द्वितीय रैंडमाइजेशन संपन्न हुआ।

इस क्रम में कुल 45316 BU, 44214 CU एवं 44214 VVPAT मतदान केन्द्रों के लिए आवंटित हुआ तथा कुल 8438 BU, 8180 CU एवं 12051 VVPAT सुरक्षित के रूप में चिन्हित किया गया एवं उक्त मशीनों की सूची सभी अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकताओं को उपलब्ध कराया गया। इन्हीं ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट का उपयोग रैंडमाइजेशन के माध्यम से संबद्ध किये गये मतदान केन्द्रों पर किया जाएगा।

कटिहार जिले के 64-कदवाँ एवं 65-बलरामपुर, कैमूर जिले के 206-चैनपुर तथा औरंगाबाद के 220-ओबरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 15 से अधिक अभ्यर्थियों के निर्वाचन लड़ने के कारण वहाँ अतिरिक्त बी०यू० की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए द्वितीय रैंडमाइजेशन का कार्य दिनांक 02.11.2025 को अपराह्न में किया जाएगा।

प्रथम चरण के सभी 18 जिलों में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट की कमीशनिंग का कार्य अभ्यर्थियों/उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रारंभ हो चुका है। द्वितीय चरण के लिए कमीशनिंग का कार्य दिनांक 01.11.2025 से प्रारंभ होगा। प्रथम चरण में कमीशनिंग के लिए ECIL, हैदराबाद द्वारा 242 अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जबकि द्वितीय चरण के लिए 244 अभियंताओं को तैनात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के कार्यालय में 04 वरिष्ठ अभियंताओं को तकनीकी कार्यों के अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है।

विदित हो कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची को प्रकाशित करने एवं ई०वी०एम० के द्वितीय रैंडमाइजेशन के उपरांत बी०यू०, सी०यू० एवं वी०वी०पैट को मतदान केन्द्रवार कमीशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में सुरक्षित मशीनें भी सम्मिलित होती हैं। यह प्रक्रिया निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में बी०यू० में बैलेट पेपर लगाया जाता है, सी०यू० में कैंडिडेट सेटिंग किया जाता है एवं वी०वी०पैट में सिंबल लोड किया जाता है। साथ ही इन्हें आयोग के दिशा-निर्देश के आलोक में एड्रैस टैग एवं पिंक पेपर सील से सील किया जाता है। इससे संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के Manual on Electronic Voting Machine में वर्णित है। जो आयोग के वेबसाइट <https://www.eci.gov.in/evm-vvpat> पर उपलब्ध है।
